UPBB010019442026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (ई०सी० एक्ट) बाराबंकी।
पीठासीन अधिकारी–सुबाष चन्द्र तिवारी, (उच्चतर न्यायिक सेवा)–UP02753
सत्र वाद संख्या–255/2026

राज्य उत्तर प्रदेश .... अभियोजन पक्ष।

बनाम

सजीवन पुत्र चुन्नीलाल, निवासी ग्राम सेठमऊ बबुरिहा, थाना सतरिख, जिला बाराबंकी।

.... अभियुक्त।

मुकदमा अपराध सं०–156/2023
धारा–138(1)(b) विद्युत अधिनियम (संशोधन) 2003,
थाना–एंटी पावर थेफ्ट, जिला बाराबंकी।

निर्णय

प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त सजीवन के विरूद्ध थाना एंटी पावर थेफ्ट, जिला बाराबंकी द्वारा अ०सं०–156/2023, धारा 138(1)(b) विद्युत अधिनियम (संशोधन) 2003, के अन्तर्गत प्रेषित आरोप पत्र पर संज्ञान लिए जाने के उपरान्त विचारण प्रारम्भ किया गया।

अभियोजन पक्ष का संक्षेप में कथन इस प्रकार है कि दिनांक 09.01.2023 समय 09:00 बजे, बहद ग्राम सेठामऊ बबुरिहा, थाना सतरिख, जिला बाराबंकी में वादी मुकदमा मोहम्मद मसीह अवर अभियन्ता एवं उनकी टीम के सदस्यों द्वारा आपको बिना बकाया विद्युत बिल जमा किये, पूर्व में विच्छेदित किये गये संयोजन को अनाधिकृत रूप से विद्युत केबिल जोड़कर विद्युत का उपभोग अपने परिसर में करते हुए पकड़ा गया। वादी मुकदमा द्वारा प्रस्तुत तहरीर के आधार पर थाना एंटी पावर थेफ्ट, जिला बाराबंकी में मुकदमा पंजीकृत किया गया।

दौरान विवेचना विवेचक द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार किया गया तथा संकलित साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए आरोप पत्र अन्तर्गत धारा–138(1)(b) विद्युत अधिनियम (संशोधन), 2003 न्यायालय प्रेषित किया गया।

अभियुक्त को धारा–207 दं0 प्र 0 सं0 के अन्तर्गत अभियोजन प्रपत्रों की प्रतियॉं प्रदान की गयीं तथा उपलब्ध प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर उसे धारा–138(1)(b) विद्युत अधिनियम (संशोधन), 2003 के आरोप से आरोपित किया गया। अभियुक्त ने आरोप से इन्कार किया तथा विचारण की मॉग की।

अभियोजन पक्ष की ओर से साक्षी पी०डब्लू०–1 अतुल श्रीवास्तव कार्यकारी सहायक विद्युत वितरण खण्ड घोसियाना जिला बाराबंकी को परीक्षित कराया गया है।

Digitally signed by SUBASH CHANDRA TIWARI
Date: 2026.07.04 14:35:42 IST
Reason: Judgement
Location: Spl. Judge (E.C. Act), Barabanki.

अभियोजन द्वारा अभिलेखीय साक्ष्य में मूल तहरीर प्रदर्श क–1 को साबित कराया गया है। बचावपक्ष द्वारा शेष अभियोजन प्रपत्रों चिक एफ०आई०आर०, कायमी जी०डी०, नक्शा नजरी व आरोप पत्र की सत्यता को स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप उन पर क्रमशः प्रदर्श क–2 ता प्रदर्श क–5 अंकित किये जाने के उपरान्त अभियोजन साक्ष्य समाप्त किया गया।

अभियुक्त का बयान धारा 313 दं०प्र०सं० अंकित किया गया जिसमें उसने अभियोजन कथानक को गलत बताया तथा अभियोजन प्रपत्रो की सत्यता स्वीकार की तथा गवाह के विभागीय होने के कारण विपरीत साक्ष्य देने का कथन किया एवं मुकदमा उसके विरूद्ध बिना बकाया विद्युत बिल जमा किये संयोजन को जोड़कर चलाने के कारण चलने का कथन करते हुए अतिरिक्त कथन में कहा है कि उसके द्वारा विद्युत विभाग में मुकदमे से संबंधित बकाया राजस्व निर्धारण व शमन शुल्क जमा कर दिया गया है। मुकदमे से संबंधित देय शेष नहीं है।

अभियोजन साक्षी **पी.डब्लू.–1** अतुल श्रीवास्तव ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि मैं, वादी मुकदमा स्व० मो० मसीह (तत्कालीन अवर अभियंता) को भली भांति जानता पहचानता हूं, कार्यालय पर मैंने इन्हें लिखते–पढ़ते देखा है, मैं इनके हस्ताक्षर व हस्तलेख से भली–भाँति परिचित हूं। यह मेरे साथ जनपद में कार्यरत रहे हैं। पत्रावली में शामिल मूल तहरीर कागज सं० अ–5/4 पर जांच टीम के अन्य सदस्यों के साथ इनके भी हस्ताक्षर भी बने हैं, जिसे पहचानकर प्रमाणित करता हूं। वादी मुकदमा द्वारा हस्ताक्षरित तहरीर पर **प्रदर्श क–1** अंकित किया गया।

जिरह में साक्षी ने कथन किया है कि अभियुक्त के परिसर पर की गयी चेकिंग दिनांक 09.01.2023 के सापेक्ष अभियुक्त द्वारा विद्युत बकाया बिल मु० 7960/– रूपये रसीद संख्या–977930468839 दिनांक 12 जनवरी 2024 को, राजस्व निर्धारण धनराशि 108/–रूपये रसीद संख्या–751188035672 दिनांकित 20 जनवरी 2026 को एवं वांछित शमन शुल्क मु० 2000/– रूपया जरिये रसीद संख्या 751935104617 दिनांक 20 जनवरी 2026 को जमा कर रसीद व उक्त विवरणा अंकित करते हुए विभाग द्वारा जारी अदेयता पत्रांक संख्या (NOC) 385 दिनांकित 20.01.2026 पत्रावली पर दाखिल की गयी है, जो अधिशाषी अभियंता घनश्याम त्रिपाठी द्वारा हस्ताक्षरित है। अभियुक्त का प्रकरण से संबंधित कोई बकाया शेष नहीं है।

बचाव पक्ष की ओर से विद्युत विभाग द्वारा जारी भुगतान संबंधी प्रपत्र एवं रसीदे दाखिल की गई हैं।

साक्षी पी.डब्लू.–1 के उपरोक्त बयान से स्पष्ट है कि अभियुक्त द्वारा प्रकरण से सम्बन्धित राजस्व निर्धारण एवं शमन शुल्क जमा किया जा चुका है।

राज्य की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक एवं बचावपक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना गया एवं उपलब्ध सम्पूर्ण साक्ष्य का परिशीलन किया गया।

इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध तथ्य, परिस्थितियों एवं सम्पूर्ण साक्ष्य के आधार पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन पक्ष, अभियुक्त के विरूद्ध अपना यह कथानक कि

विद्युत बकाये के आधार पर विच्छेदित किये गये विद्युत संयोजन को बकाया धनराशि अदा किये बिना घटना दिनाँक को अभियुक्त अवैध रूप से स्वयं संयोजित कर विद्युत का उपभोग करते हुए पाया गया, को युक्तियुक्त सन्देह से परे स्थापित एवं प्रमाणित किया है। किन्तु इस मामले में प्रस्तुत किये गये साक्ष्यों से यह भी साबित होता है कि अभियुक्त द्वारा विद्युत विभाग में राजस्व निर्धारण एवं शमन शुल्क जमा किया जा चुका है, इस आशय का विद्युत विभाग द्वारा जारी प्रपत्र भी बचाव पक्ष द्वारा दाखिल किया गया है।

अभियोजन द्वारा इस स्तर पर ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह दर्शित हो कि अभियुक्त के विरूद्ध कोई वाद पूर्व में शमन शुल्क जमा करने के आधार पर निर्णीत किया गया हो। ऐसी स्थिति में विद्युत अधिनियम की धारा–152(3) के अनुसार इस मामले में अभियुक्त के विरूद्ध दोषसिद्धि का कोई आधार नही है।

अतः अभियुक्त सजीवन धारा 138(1)(b) भारतीय विद्युत अधिनियम (संशोधन), 2003 के आरोप से, इस अधिनियम की धारा 152(3) के अनुक्रम में, दोषमुक्त किए जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त सजीवन पुत्र चुन्नीलाल, निवासी ग्राम सेठमऊ बबुरिहा, थाना सतरिख, जिला बाराबंकी, को धारा 138(1)(b) भारतीय विद्युत अधिनियम (संशोधन), 2003 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्त जमानत पर है, उसके व्यक्तिगत बंधपत्र एवं प्रतिभूपत्र निरस्त कर प्रतिभूगण को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

दिनांक–30.06.2026

(सुबाष चन्द्र तिवारी)
J.O. Code–UP2753
विशेष न्यायाधीश (ई०सी०एक्ट),
बाराबंकी।

निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांक–30.06.2026

(सुबाष चन्द्र तिवारी)
J.O. Code–UP2753
विशेष न्यायाधीश (ई०सी०एक्ट),
बाराबंकी।